



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जून, 1974
श्रावण 6 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1855/सत्रह-वि०-1-9-1974

लखनऊ, 27 जून, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 जून, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाय इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974]

(जसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 को निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1962

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1974 कहलायेगा।

2—(1) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 को जिसे आगे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1962 का निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1962 का निरसन तथा अपवाद

(2) यू० पी० जनरल क्लॉजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल यू० पी० ऐक्ट प्रभाव डाले बिना, ऐसे निरसन से, निरसन पूर्व की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर संख्या 1, 1904 निर्धारण या लगाये गये कर की वसूली के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियाँ अथवा अधिकारिता का बराबर प्रयोग करते रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

No. 1855 (2)/XVII-V-1-9-74

Dated Lucknow, June 27, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh (Nagar Kshettra)/Bhumi Aur Bhawan Kar (Nirsan) Adhinyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 13 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 24, 1974 :

**THE UTTAR PRADESH (NAGAR KSHETTRA) BHUMI AUR
BHAWAN KAR (NIRSAN) ADHINIYAM, 1974**

(U. P. ACT No. 13 OF 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

*to provide for the repeal of the Uttar Pradesh (Nagar Kshettra) Bhumi Aur
Bhawan Kar Adhinyam, 1962*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows :—

U. P. Act No. XII
of 1962.

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Nagar Kshettra) Bhumi Aur Bhawan Kar (Nirsan) Adhinyam, 1974.

Repeal of U. P.
Act No. XII of
1962 and savings.

2. (1) The Uttar Pradesh (Nagar Kshettra) Bhumi Aur Bhawan Kar Adhinyam, 1962, hereinafter referred to as the said Act, is hereby repealed with effect from the first day of April, 1967.

(2) Without prejudice to the generality of the provision of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904, such repeal shall not affect the continued exercise of the powers or jurisdiction of any authority under the said Act in respect of the assessment or realization of the tax levied thereunder for the period before the repeal. U. P. Act I of 1904.

आज से,

केलाश नाथ गोयल,

सचिव ।